जनपद शामली पुलिस

--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 18.07.2024

प्रेस नोट

थाना झिंझाना पुलिस द्वारा उच्च प्राथमिक विद्यालय में हुई चोरी का 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी किये हुए गेंहू व चावल बेचकर प्राप्त धनराशि में से बचे 400 रुपये नकद बरामदः-

आज दिनांक 18.07.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक के आदेशानुसार चलाये जा रहे संदिग्ध वाहन/व्यक्ति की चैकिंग अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल नेतृत्व में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा 01 चोर को चोरी किये हुए गेंहू व चावल बेचकर प्राप्त धनराशि में से बचे 400 रुपये नकद सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

ज्ञात हो कि दिनांक 26.06.2024 को वादी श्री अश्वनी कुमार (इंचार्ज प्रधानाध्यापक) ने अज्ञात चोरों के विरुद्द उच्च प्राथमिक विधालय की रसोई से गेहू व चावल की चोरी कर लेने के सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर तहरीर दी थी। तहरीर के आधार पर थाना झिंझाना पर सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत किया गया था। पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा घटना में लिप्त अभियुक्तगण की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु प्रभारी निरीक्षक थाना झिंझाना को निर्देशित किया गया था।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.असलम पुत्र वाजिद निवासी कस्बा व थाना झिंझाना जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

1.चोरी किये हुए गेंहू व चावल बेचकर प्राप्त धनराशि में से बचे 400 रुपये नकद बरामद।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त असलम उपरोक्तः-

1.मु0अ0सं0 683/2018 धारा 323/452/504 भादवि व धारा 25 आयुध अधिनियम थाना कैराना जनपद शामली।
2.मु0अ0सं0 50/2019 धारा 379/411/414 भादवि थाना गंगोह जनपद सहारनपुर।
3.मु0अ0सं0 52/2019 धारा 379/411 भादवि थाना गंगोह जनपद सहारनपुर।
4.मु0अ0सं0 58/2019 धारा 379/411 भादवि थाना गंगोह जनपद सहारनपुर।
5.मु0अ0सं0 60/2019 धारा 25 आयुध अधनियिम थाना गंगोह जनपद सहारनपुर।
6.मु0अ0सं0 235/2019 धारा 2/3 गैंगस्टर अधनियम थाना गंगोह जनपद सहारनपुर।
7.मु0अ0सं0 167/2022 धारा 379/411 भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद मुजफ्फनगर।
8.मु0अ0सं0 261/2024 धारा 457/380/411 भादवि थाना झिंझाना जनपद शामली।

रिपोर्टिंग पुलिस चौकी
ऊन थाना झिंझाना
जनपद-शामली

थाना थानाभवन पुलिस द्वारा नाबालिग से दुष्कर्म करने के प्रयास के मामले में 01 अभियुक्त गिरफ्तारः-

आज दिनांक 18.07.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे महिलाओं के विरूद्ध अपराध की रोकथाम एवं महिला अपराधों से संबंधित वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी थानाभवन के निकट पर्यवेक्षण में थाना थानाभवन पुलिस द्वारा नाबालिग से दुष्कर्म करने के प्रयास के मामले में 01 अभियुक्त को तत्काल कार्यवाही कर गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना थानाभवन पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

आज दिनांक 18.07.2024 को थाना थानाभवन क्षेत्रान्तर्गत नाबालिग से दुष्कर्म करने के प्रयास के सम्बन्ध में पीड़िता के परिजनों द्वारा थाना थानाभवन पर तहरीर दी गयी। तहरीर के आधार पर थाना थानाभवन पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है।

नाम व पता अभियुक्तः-

1.बिन्दर उर्फ खडारी पुत्र चतरा निवासी ग्राम किशोरपुर थाना थानाभवन जनपद शामली।

उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में 03 अलग-अलग मामलों में 03 अभियुक्तों को माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई कारावास की सजा एवं 2,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित भी किया गयाः-

1. वर्ष 2024 में अभियुक्त 1.शाकिब पुत्र शमसाद निवासी मौहल्ला अफगानान थाना नानौता जनपद सहारनपुर के विरुद्ध थाना थानाभवन पर मु0अ0सं0 11/24 धारा 4/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 18.07.2024 को माननीय न्यायालय CJ(JD)JM कैराना, शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को धारा 4/25 आयुध अधिनियम में सुनाई जेल में बिताई अवधि व 1,000/- रुपये का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 02 दिवस के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

2. वर्ष 2021 में अभियुक्त 1.विपिन पांचाल पुत्र राजेन्द्र पांचाल निवासी ग्राम सिक्का थाना आदर्शमंडी जनपद शामली के विरुद्ध थाना आदर्शमंडी पर मु0अ0सं0 128,129/2021 धारा 457,380, 411 भादवि पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 18.07.2024 को माननीय न्यायालय CJJD/FTC शामली द्वारा अभियुक्त को उपरोक्त अभियोग व धाराओं सुनाई सजा जेल में बिताई गई अवधि के कारावास की सजा से दण्डित किया गया।

3. वर्ष 2000 में अभियुक्त 1.हिफजुर्रहमान उर्फ मोनी पुत्र हाजीकाला निवासी मौहल्ला मिर्दगान थाना कांधला जनपद शामली के विरुद्ध थाना कांधला पर मु0अ0सं0 449/2000 धारा 379,411 भादवि पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 18.07.2024 को माननीय न्यायालय ACJ(JD)JM कैराना, शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को धारा में सुनाई जेल में बिताई अवधि व 1,000/- रुपये का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 07 दिवस के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

नाम व पता अभियुक्तगणः-

1.शाकिब पुत्र शमसाद निवासी मौहल्ला अफगानान थाना नानौता जनपद सहारनपुर।

2.विपिन पांचाल पुत्र राजेन्द्र पांचाल निवासी ग्राम सिक्का थाना आदर्शमंडी जनपद शामली।

3.हिफजुर्रहमान उर्फ मोनी पुत्र हाजीकाला निवासी मौहल्ला मिर्दगान थाना कांधला जनपद शामली